

10754/15

ROOPALI PANDE
Asth. Manag



(231)



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP01119328288356N
 Certificate Issued Date : 01-Jun-2015 01:06 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101346779221836N
 Purchased by : GARV BUILDTECH PVT LTD
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : KHASRA NO.2846, 2848 AND OTHERS, KALLI PASCHIM, LUCKNOW. U.P
 Consideration Price (Rs.) : 14,93,000
 (Fourteen Lakh Ninety Three Thousand only)
 First Party : VIPIN KUMAR SON OF RAMDATTA
 Second Party : GARV BUILDTECH PVT LTD
 Stamp Duty Paid By : GARV BUILDTECH PVT LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,13,000
 (One Lakh Thirteen Thousand only)



.....Please write or type below this line.....

विपिन कुमार



[Signature]

बृजेश कुमार
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ

XM 0002942190

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला।

उप निबंधक कार्यालय लखनऊ कम सं० 20793

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 01-Jun-2015

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम विपिन कुमार

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 1,493,000. / 1,614,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 20
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रधानी करण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10,020.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 01-Jun-2015

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 01-Jun-2015

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



विक्रय मूल्य	- 14,93,000/-रुपया
मालियत	- 16,13,980/-रुपया
स्टाम्प	- 1,13,000/-रुपया
परगना	- बिजनौर

-: लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण :-

- 1- भूमि का प्रकार : कृषि
- 2- परगना : बिजनौर
- 3- ग्राम : कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर
तहसील व जिला लखनऊ
- 4- सम्पत्ति का विवरण : खसरा संख्या - 2846, 2848,
2858, 2859, 2863थ
- 5- मापन की इकाई : हेक्टेयर
- 6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.1717 हेक्टेयर
- 7- सड़क की स्थिति : मुख्य रायबरेली रोड से 1कि०मी० से
अधिक दूरी पर स्थित है।
- 8- अन्य विवरण : सामान्य
- 9- प्रतिफल की धनराशि : 14,93,000/-रुपया
- 10- सहकारी आवास से सम्बन्धित नहीं है।

विश्वनाथ कुमार

अमरेश

- : चौहद्दी खसरा संख्या - 2846 : -

पूरब - खसरा संख्या - 2847
पश्चिम - खसरा संख्या - 2848
उत्तर - खसरा संख्या - 2845
दक्षिण - खसरा संख्या - 2849

- : चौहद्दी खसरा संख्या - 2858 : -

पूरब - खसरा संख्या - 2938
पश्चिम - खसरा संख्या - 2859
उत्तर - खसरा संख्या - 2857
दक्षिण - खसरा संख्या - 2936

विक्रेता का विवरण :-

श्री विपिन कुमार पुत्र स्व० रामदत्त निवासी - अमोल मजरा ग्राम
कल्ली पश्चिम, तहसील व जिला परगना बिजनौर, तहसील व जिला
लखनऊ ।

..... प्रथम पक्ष/विक्रेता

क्रेता का विवरण : -

गर्व बिल्डटेक प्राइवेट लि० (Garv Buildtech Pvt. Ltd.) रजि०
आफिस - 10, एल०एस०सी०, कालका जी, नई दिल्ली - 110019
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी (through its board resolution dated
14.01.2014) अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र श्री पी०एन०उपाध्याय निवासी
- 7, एल०एस०सी०, कालका जी, नई दिल्ली - 110019

..... द्वितीय पक्ष/क्रेता

विपिन कुमार

.....


- : विक्रय विलेख : -

मनकि श्री विपिन कुमार पुत्र स्व० रामदत्त निवासी - अमोल मजरा
ग्राम कल्ली पश्चिम, तहसील व जिला परगना बिजनौर, तहसील व जिला
लखनऊ का (विक्रेता) है।

जो कि मैं विक्रेता कृषि भूमि खाता संख्या - 01153 के खसरा
संख्या - 2846 रकबा 0.0850 हेक्टेयर, खसरा संख्या - 2848 रकबा
0.3730 हेक्टेयर, खसरा संख्या - 2858 रकबा 0.0130 हेक्टेयर, खसरा
संख्या - 2859 रकबा 0.0310 हेक्टेयर, खसरा संख्या - 2863 रकबा
0.0130 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5150 हेक्टेयर, में से अपना सम्पूर्ण अंश
रकबा 0.1717 हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर
तहसील व जिला लखनऊ का कामिल व काबिज हैं जो कि विक्रेता की
पैत्रिक सम्पत्ति है और जो राजस्व अभिलेखों में मेरे नाम बतौर संक्रमणीय
भूमिधर अंकित है।

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अन्तर्गत
धारा 4 (1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 04.12.2010
सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के
विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त
आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी
समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से
अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत
हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर
प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व

विपिन कुमार 4



अधिग्रहण प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उपरोक्त भूमि हर प्रकार के रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी पाक है। जिसे विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना व कानूनी हक हासिल हैं। अब बजरुरत खुद हम अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मजकूरेबाला को बिला छोड़े किसी चीज हक कुल या जुज के जो कुछ भी हमें उक्त विक्रयशुदा भूमि में प्राप्त है, उन सबके बकीमत मुबलिंग 14,93,000/-रूपया (चौदह लाख तिराब्बे हजार रूपया) जिसके आधे मुबलिंग 7,46,500/-रूपया (सात लाख छियालिस हजार पांच सौ रूपया) होते हैं, में बदस्त "गर्व बिल्डटेक प्रा० लि०" द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय के हाथ बय फरोख्त कतई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य कब्ल तहरीर बैनामा हाजा क्रेता मजकूर से रुबरु गवाहान हस्ब तफसील जैल वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रयशुदा मालिकाना भूमि पर बजाय कब्जा खुद के क्रेता मजकूर का बखूबी अपने समान करा दिया, अब मेरा व मेरे वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रयशुदा जायदाद या उसके किसी अंश कुल या जुज में शेष नहीं रहा अगर कोई शख्स निस्बत विक्रयशुदा जायदाद या जरसमन के क्रेता मजकूर से हक जताये या दावा करें तो उसका हक व दावा बरुए तहरीर बैनामा हाजा बातिल व नाजायज होगा और अगर किसी शख्स की हकदारी या उज्दारी या दावेदारी से विक्रयशुदा भूमि कुल या जुज कब्जे क्रेता से निकल जावें या कब्जा न मिले या मिलकियत या हकीयत हमारी करार न पाई या अन्य कोई विवाद निकले तो ऐसी तमाम सूस्तों में क्रेता व वारिसान क्रेता को हक हासिल होगा कि

विश्वनाथ ०५/११/१५

Amir Singh

वह अपना समस्त विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा के मुझसे या मेरे वारिसान या दीगर जायदाद चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें, कोई मुकाम उज्र न होगा।


आराजी मुबइया लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में अधिग्रहीत की गयी है। आराजी मुबइया पर कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग व निर्माण आदि नहीं है। आराजी मुबइया रायबरेली रोड से 1 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। आराजी मुबइया नगर निगम सीमा के बाहर हैं।

आराजी मुबइया कृषि भूमि हैं। ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की बाजारु मालियत 94,00,000/-रुपया प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित है। आराजी मुबइया के 50 मीटर व 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आबादी नहीं है।

रुपया 94,00,000/-प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीत रकबा 0.1717 हेक्टेयर की मालियत मुबलिंग -16,13,980/-रुपया होती है। चूँकि विक्रय मूल्य मालियत से कम है। अतः मालियत पर संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग -5 की अधिसूचना संख्या - स०वि०क०नि०-5/2756/11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क 1,13,000/-रुपया का अदा किया जा रहा है।

विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। आराजी मुबइया राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रेता व क्रेता स्थाई/अस्थायी पता उपरोक्त ही हैं।

उक्त आराजी का पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है।





विक्रय पत्र

1,493,000.00 / 1,614,000.00

10,000.00 20 10,020.00 1,000

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
श्री विपिन कुमार
पुत्र श्री स्व राम दत्त
व्यवसाय कृषि

विपिन कुमार



निवासी स्थायी अस्थायी पता अमोल कल्ली पश्चिम लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/6/2015 समय 2:03PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

विपिन कुमार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0बी0सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता क्रेता

श्री विपिन कुमार
पुत्र श्री स्व राम दत्त
पेशा कृषि
निवासी अमोल कल्ली पश्चिम लखनऊ

विपिन कुमार



श्री गर्व बिलटेक प्रा लि द्रा अधि हस्ता अशोक कुमार
उपाध्याय
पुत्र श्री पी एन उपाध्याय
पेशा व्यापार
निवासी 10, एल एस सी कालकाजी नई दिल्ली

अशोक कुमार



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अतुल कुमार अवरथी

पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी कले कोर्ट लखनऊ

व श्री शरद चन्द श्रीवास्तव

पुत्र श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव

पेशा नौकरी

निवासी ब्रम्ह स्थान आजमगढ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अतुल कुमार अवरथी

श्रीवास्तव



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0बी0सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

1/6/2015

यह कि यदि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी आदेश से विक्रेता का विक्रीत नम्बर में रकबा बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता बढ़ा हुआ रकबा क्रेता को ही इसी दर पर विक्रय करने के लिए बाध्य होगा।

प्रस्तुत लेखपत्र उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गए कागजात व उनके द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी/प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

लिहाजा यह विक्रय विलेख अपनी खुशी व रजामन्दी से पूर्ण होशों हवाश में बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क के रूबरू गवाहन लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

-: तफसील वसूलयाबी जरसमन :-

1. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिंग 13,50,000/-रूपया (तिरह लाख पचास हजार रूपया) जरिये ~~चेक~~/डी0डी0 संख्या 957783... दिनांक 01.06.2015 जारी एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, लखनऊ द्वारा प्राप्त किया।
2. विक्रेता ने क्रेता से मुबलिंग 1,43,000/-रूपया (एक लाख तैंतालिस हजार रूपया) दिनांक 01.06.2015 को नगद प्राप्त किया।


विपिन कुमार

अमरेंद्र

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य 14,93,000/-रुपया (चौदह लाख तिराब्बे हजार रूपया) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया। अब उपरोक्त आराजी के बाबत कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं है ।


लखनऊ/दिनांक

01.06.2015

गवाह :1 
R. Awasthi

पता Electret
Lucknow


हस्ताक्षर विक्रेता


गवाह :2 
Shri. Srivastava
sharad ch. Srivastava
% Harish ch. Srivastava
पता Brahmasthan
Azamgarh

हस्ताक्षर क्रेता

टाइपकर्ता


आकाश दीप वर्मा

मसविदाकर्ता



ब्रजेश कुमार पाण्डेय

एडवोकेट

सदर तहसील, लखनऊ

मानचित्र

भूमि खसरा न0 - 2846, 2848, 2858, 2859, 2863ध का मिनजुमला
स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ ।



विपिन कुमार


ह0 विकेता

अमर सिंह

ह0केता

आज दिनांक 01/06/2015 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 19089
पृष्ठ सं. 233 से 250 पर क्रमांक 10754
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


एस0बी0सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ

1/6/2015





भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



विपिन कुमार
Vipin Kumar
जन्म तिथि/ DOB: 02/02/1982
पुरुष / MALE



5085 2561 7554

आधार-आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

संबोधित: राम दत्त, कल्ली
पश्चिम, अमोल, कल्ली
पश्चिम, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 227305

Address:

S/O. Ram Datta, KALLI PASHCHIM,
AMOL, Kalli Pashchim, Lucknow,
Uttar Pradesh - 227305

5085 2561 7554

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



खाता विवरण

<< पीछे

ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम परगना : बिजनौर तहसील : लखनऊ खाता संख्या : 01153
 जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1417-1422 भाग : 1

खातेदार का नाम संरक्षक का नाम निवास स्थान खसरा संख्या क्षेत्रफल(हे.) आदेश टिप्पणी

श्रेणी : भूमि का अद्यतनमान भूमिधरो के अंतर्गत में ही।

सुशील कुमार	रामदत्त	नि. अमोल म. ग्राम	2512	0.4170	आदेश तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं. 345/16.11.10
विपिन कुमार	रामदत्त	नि. अमोल म. ग्राम	2523ग	0.4430	गाटा सं. 2867/0.1450 हे., 2937/0.0340 हे.,
श्रीमती विमला देवी	पत्नी स्व. रामदत्त	नि. अमोल म. ग्राम	2711	0.1450	2938/0.0280 हे., 2952/0.0250 हे., 2953/
			2739	0.5950	0.0130 हे. कुल रकबा 0.2450 हे. मा.गु. 60ख से
			2846	0.0850	विक्रेता सुशील कुमार व विपिन कुमार पुत्रगण स्व.
			2848	0.3730	रामदत्त व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. रामदत्त
			2858	0.0130	का नाम निरस्त करके क्रेता गायत्री इन्फ्राबेल्ड प्रा. लि.
			2859	0.0310	द्वारा डायरेक्टर गया प्रसाद पाण्डेय पुत्र वीरेन्द्र कुमार
			2863घ	0.0130	नि. गुरु गोविन्द सिंह मार्ग लालकुआं लखनऊ का नाम
			2867	0.1450	बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। ह.र.का.
			2880	0.0950	4.3.11
			2881	0.0310	न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर / नियम 109 अ लखनऊ
			2882	0.1900	वाद सं.34/10-11 अन्तर्गत नियम 109अ(1) जोत
			2883	0.0380	चकबन्दी नियमावली ग्राम कल्ली पश्चिम पर.बिजनौर
			2885	0.0090	त.व जिला लखनऊ श्रीमती मिथलेश कुमारी बनाम रामदत्त
			2887	0.0380	ता.फै.10.5.11 आदेश चकबन्दी अधिकारी मलिहाबाद
			2888	0.0540	वाद सं.204ता.फै.19.1.01एवं ब.अ.च.लखनऊ के
			2889	0.1140	अनुमोदन दिनांक 30.5.11 के अनुपालन में ग्राम कल्ली
			2890ख	0.9480	पश्चिम प.बिजनौर त. व जिला लखनऊ के जो च.आ.पत्र
			2891	0.0660	की खाता सं.865 में अंकित गाटा सं.3033क /0-3-10,
			2892	0.0380	3033ख /0-4-15, 3068/1-1-0 से दर्ज खातेदार
			2893	0.0280	रामदत्त पुत्र जलसॉई का नाम पृथक कर क्रेतनी श्रीमती
			2894	0.0410	मिथलेश कुमारी पत्नी नौमीलाल नि.अमोल मजरा
			2895	0.0630	ग्राम कल्ली पश्चिम का नाम द्वारा बैनामा पंजीकृत
			2896	0.0380	पंजीयन सं.4515/2000 दिनांक 12.7.2000 बतौर सं.भू.
			2897ग	0.4550	दर्ज हो।लगान नियमानुसार निर्धारित हो।
			2899	0.2150	ह.र.का./14.7.11
			2898	0.0470	आदेश तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं. 729/22.12.11
			2937	0.0340	गाटा सं. 2739/0.5950 हे. में से रकबा 0.1927 हे. मा.
			2938	0.0280	गु.60 ख से विक्रेता सुशील कुमारपुत्र स्व. राम दत्त
			2952	0.0250	व विपिन कुमार पुत्र स्व. राम दत्त व श्रीमती विमलादेवी
			2953	0.0130	पत्नीस्व. राम दत्त का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती
			2955	0.0220	जसविन्दर कौर पत्नी हरदीप सिंह निवासी 43 पटेलनगर
			3033ग	0.0440	आलमबाग लखनऊ का नाम बतौरसं भू. द्वारा बैनामा
			3033ख	0.0600	अंकित किया जाय ह.र.का. 22.12.11
			3068	0.2660	आदेश तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं. 730/22.12.11
					गाटा सं. 2739/0.5950 हे. में से रकबा 0.2023 हे.

मा.गु. 60ख से विक्रेता विपिन कुमार पुत्र स्व. रामदत्त
व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. रामदत्त का नाम निरस्त
करके क्रेता शेख मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद जुबैर
नि. गढी जिन्दौर मलिहाबाद जिला लखनऊ का नाम
बतौर सं. भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। ह.र.का.
29.12.11

आदेश ना.तह. बिजनौर वाद स. 761/4761/20.12.14

गाटा स. 2512 रकबा 0.4170हे.व 2523ग रकबा

0.4430हे.मे से रकबा 0.2866हे.मा.गु.60ख

से विक्रेता विपिन कुमार पुत्र स्व. रामदत्त का नाम

निरस्त करके क्रेता शान्ती शरण मिश्रा पुत्र स्व.

राजा बहादुर मिश्रा नि.म.न. 56/66/11अ, बाग

आईन बीबी, हुसैनगंज लखनऊ का नाम बतौर स

.भू.द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। ह.र.का.

06.1.15

Disclaimer : उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated as on: 11/05/2015

Developed By: National Informatics Centre, UP State, Ghaziabad

Site Best Viewed in IE 8.0 and Google Chrome

उद्धरण खतौनी

(e231)

10754

207

तहसील : लखनऊ

ग्राम का नाम : कल्लो पश्चिम

ग्राम क्रमांक : 39020500407

परगना विजनौर

फसली वर्ष : 1417-1422

भाग : I

जनपद : लखनऊ

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार का नाम	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संशोधन	टिप्पणी
-----------------------	----------------	-----------------------------	-------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	----------------	--	---------

1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7-12 ----- 13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

01153	सुरेशील कुमार विपिन कुमार श्रीमती विमला देवी	रामदत्त रामदत्त पत्नी स्व. रामदत्त	नि. अमोल म. ग्राम नि. अमोल म. ग्राम नि. अमोल म. ग्राम	1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ 1409फ	2512 2523ग 2711 2739 2846 2848 2858 2859 2863ध 2867 2880 2881 2882 2883 2885 2887 2888 2889 2890ख 2891 2892 2893 2894	0.4170 0.4430 0.1450 0.5950 0.0850 0.3730 0.0130 0.0310 0.0130 0.1450 0.0950 0.0310 0.1900 0.0380 0.0090 0.0380 0.0540 0.1140 0.9480 0.0660 0.0380 0.0280 0.0410	आदेश तहसीलदार सर लखनऊ वाद सं. 345/16.11.11.11 गाटा सं. 2867/0.1450 हे., 2937/0.0340 हे., 2938/0.0280 हे., 2952/0.0250 हे., 2953/ 0.0130 हे. कुल रकबा 0.2450 हे. मा.गु. 60ख से विक्रेता सुरील कुमार व विपिन कुमार पुत्रगण स्व. रामदत्त व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. रामदत्त का नाम निरस्त करके क्रेता गायत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा खरीदकर गया प्रसाद पाण्डेय पुत्र वीरेंद्र कुमार नि. गुरु गोविन्द सिंघ मार्ग लालकुआं लखनऊ का नाम बतौर सं. भू. द्वारा बनाया अंकित किया जाय। ह.र.का. 4.3.11	
							न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर / नियम 109 अ लखन वाद सं. 34/10-11 अन्तर्गत नियम 109अ(1) जोति चकबन्दी नियमावली ग्राम कल्लो पश्चिम पर विजनौर त.व जिला लखनऊ श्रीमती मिथलेश कुमारी बनाम रामदत्त ता.के.10.5.11 आदेश चकबन्दी अधिकारी नलिहाबाद वाद सं.204ता.के.19.1.01 एवं ब.अ.च.लखनऊ के अनुमोदन दिनांक 30.5.11 के अनुपालन में ग्राम कल्लो पश्चिम प.विजनौर त. व जिला लखनऊ के जो.च.आ.पत्र की खता सं.865 में अंकित गाटा सं.3033क/0-3-10, 3033ख/0-4-15, 3068/1-1-0 से दर्ज खातेदार रामदत्त पुत्र जलसई का नाम पृथक कर क्रेतनी श्रीमती	

39020500407

ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम

परगना बिजनौर

तहसील : लखनऊ

: लखनऊ

फसली वर्ष : 1417-1422

भाग : 1

खतादार का नाम

पिता / पति /

निवास स्थान

भूमिक अधिकार

प्रत्येक

खतादेदार

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका

खतौनी
क्रम संख्या

संरक्षक का नाम

प्रारम्भ होने का

खाते के प्रत्येक

गाटे का

व्दारा देय

संराश उन्की संख्या तथा दिनांक

क्रम संख्या

संरक्षक का नाम

फसली वर्ष

गाटे का

क्षेत्रफल

मातगुजारी

सहित और आज्ञा देने

वाले अधिकारों का पद

संख्या

(हे.)

या लगान

वाले अधिकारों का पद

1

2

3

4

5

6

7-12

13

राजा बहादुर मिश्रा नि.म.न. 56/ 66/ 11अ, बाग
आईन बीबी, हुसैनगंज लखनऊ का नाम बतौर स
:शू द्वारा बेनामा अंकित किया जाय। ह.र.का.
06.1.15

आदेश सं.सह. नगर बाद सं. 3579/07.8.15 गाछ सं.
2846 रकबा 0.0850 हे., 2848 रकबा 0.3730 हे.,
2858 रकबा 0.0130 हे., 2859 रकबा 0.0310 हे.,
2863 रकबा 0.0130 हे. कुल रकबा 0.5150 हे.
में से अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 0.1717 हे. मांग

60ख से विक्रेता विपिन कुमार पुत्र स्व. रामदत्त का नाम
निरस्त करके क्रेता धं बिल्डटक प्रा.लि. रवि. आफिस
10 एल.एस.सी. कालका जी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत
हस्ताक्षरी अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र श्री पी.एन. उपाध्याय
नि.-7 एल.एस.सी. कालका जी नई दिल्ली का नाम
बतौर सं.शू द्वारा बेनामा अंकित किया जाये। ह.र.का.
10.8.15

कुल गाटे : 36 कुल क्षेत्र : 5.2600

83.10

10754

01.6.15

